

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 40/2018 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
भरतपुर।

आवेदक

बनाम

सुनील कुमार पुत्र दलवीर सिंह जाति जाट उम्र 22 वर्ष मालिक एवं विक्रेता मैसर्स रॉयल मिल्क बूथ,
आगरा रोड भरतपुर निवासी गांव महदउ तह0 किरावली जिला आगरा।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल के अभिभाषक श्री नीरपाल सिंह

निर्णय

दिनांक : 08.12.2021

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के
अनुच्छेद 26(2)(ii) के अंतर्गत गैरसायल दिनांक 30.07.2018 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये
नियत दिनांक 08.12.2021 को गैरसायल के अभिभाषक उपस्थित।
इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल के अभिभाषक को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया
कि दिनांक 23.04.2018 को प्रात 10.00 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स रॉयल मिल्क बूथ, आगरा

रोड भरतपुर निवासी गांव महदउ तह0 किरावली जिला आगरा का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु प्लास्टिक की बाल्टी में 12 लीटर मिश्रित दूध रखा हुआ पाया गया। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/346/एक्ट/2018/365 दिनांक 04.05.2018 द्वारा उक्त मिश्रित दूध का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का मिश्रित दूध विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया है।


आरोपों को सुन व समझकर अभिभाषक गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स रॉयल मिल्क बूथ, आगरा रोड भरतपुर से मिश्रित दूध का जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जांच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त मिश्रित दूध में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त मिश्रित दूध की जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रुटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडैक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है। इसलिये गैरसायल के प्रति नरमरुख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 23.04.2018 को प्रात 10.00 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की दुकान पर आम जनता के विक्रय हेतु मिश्रित दूध करीब 12 लीटर रखा हुआ पाया गया। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/346/एक्ट/2018/365 दिनांक 04.05.2018 के द्वारा उक्त मिश्रित दूध का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार Milk fat का मानक Minimum=4.50% होना चाहिये था परन्तु

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

इसका मानक 6.10% पाया गया है जो निर्धारित मानक से अधिक है। इसी प्रकार Milk solids का मानक Minimum= 8.50% होना चाहिये था परन्तु इसका मानक 7.66% पाया गया है जो निर्धारित मानक कम है। इसी प्रकार B.R. Reading of extracted fat at 40°C होना चाहिये था परन्तु इसका मानक 43.5 पाया गया है जो निर्धारित मानक से अधिक है। दौराने सुनवाई अभिभाषक गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने की चेतावनी अभिभाषक गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 10000/-रूपये (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।


(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर